

Ref. No.: LIC/SE/2025-26/55

Date: July 31, 2025

To  
The Manager  
Listing Department,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Tower,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001

**Scrip Code: 543526**

The Manager  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot C/1,  
G Block, Bandra Kurla Complex,  
Mumbai-400051

**Scrip Code: LICI**

Dear Sir/Madam,

**Subject: Newspaper Advertisement – Notice of 4th Annual General Meeting (“AGM”)**

Pursuant to Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of following newspaper advertisements published on July 31, 2025, informing the Notice along with the details of e-voting facility for the ensuing 4th AGM of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) scheduled to be held on August 26, 2025 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means:

S. No	Name of Newspaper(s)	Language(s)
1	The Times of India	English
2	Navbharat Times	Hindi
3	Maharashtra Times	Marathi

Please take the above information on record and arrange for dissemination. A copy of this intimation is also being made available on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in).

Yours faithfully,

**For Life Insurance Corporation of India**

**(Anshul Kumar Singh)**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl.: a/a



# Register Parbhani custody death FIR, add accused names later: SC

## Maha Moved SC Against HC Order For FIR

TIMES NEWS NETWORK

Mumbai: Supreme Court on Wednesday directed that an FIR be registered for an offence following allegations by a woman that her son, Somnath Suryawanshi, died in police custody in Parbhani. But, the court said, names of accused may be added if the investigation reveals any staff's complicity.

The state govt on July 10 moved the Supreme Court against a July 4 Bombay high court order that directed the registration of an FIR

## Nithari killings: SC upholds Koli's acquittal

Supreme Court on Wednesday upheld Allahabad HC's Oct 2023 judgment acquitting Surendra Koli in 12 Nithari killing cases of Noida, where the accused had allegedly sexually assaulted a number of girls and women before murdering them, on the ground that police lapses had rendered crucial evidence inadmissible.



Hearing appeals by parents of a woman who was raped and murdered, UP govt and CBI, a bench of Chief Justice B R Gavai and Justices Satish Chandra Sharma and K Vinod Chandran put just one question to additional solicitor general Rajkumar B Thakare, who appeared for the prosecution, and senior advocate Geeta Luthra, who appeared for the parents — show us a single perversion in the appreciation of evidence by the HC. The SC also dismissed appeals against acquittal of Koli's employer Moninder Singh Pandher in two cases. Koli will remain in jail as he is serving a life term in another case of murder in which the SC has confirmed his conviction. **TNN**

against the staff of Mondha police station, Parbhani, based on the woman's allegations of her son's "custodial death" on Dec 4 last year.

The SC, after hearing the state govt's concern about the impracticability of registering an FIR against the station's staff of 70 — some of

whom were even on leave — said FIR should be registered for the offence and investigated. If anyone is found to be complicit, their name should be added to FIR. When no accused names are mentioned in an FIR, it is usually registered against "unknown persons", officials said.

The state, through Siddharth Dharmadhikari before the SC bench of Justices MM Sundresh and NK Singh, contested the claim that this was a custodial death. For some police officials, Dama Naidu appeared before SC. Dharmadhikari contended that HC order would have effect of registering an FIR against all staff, including two women officials who were on maternity leave and two male staff who were on casual leave.

# HC poser to Centre on authority to order cuts in 'Udaipur Files'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Delhi high court on Wednesday questioned the Central govt if it had the authority to direct further cuts in the movie 'Udaipur Files - Kanhaiya Lal Tailor Murder' as it may amount to sitting in appeal over the Central Board of Film Certification (CBFC).

"You have to exercise the powers within the four corners of the statute. You can't go beyond that," a bench of Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela told govt after being informed that Centre, while exercising its revisional powers under the Cinematograph Act, suggested six cuts to the producers of the movie in addition to a disclaimer. It was also informed that though film was re-certified, it has not been issued to the producers, since the matter is pending in HC.

The court pointed out that section 6 of the Cinematograph Act permits govt to deem a film to be uncensored in the whole or any part of In-

dia, change the rating of certification, or direct that the movie may not be exhibited. But, the bench sought to know if govt also had the power under the statute to order further cuts.

"The nature of the order you passed, you said, effect six cuts, etc., whether this authority is available under the statute?" the bench asked additional solicitor general Chetan Sharma, who was representing the Centre and CBFC.

The HC was hearing a plea by Mohammed Javed, one of the accused in the Kanhaiya Lal murder case, objecting to the release of the film on the grounds that it would prejudice his right to a fair trial. Senior advocate Maneka Guruswamy, representing Javed, contended that the Centre has exercised its revisional powers in a manner that contravenes the statutory scheme of the Cinematograph Act.

The ASG submitted that the film underwent a two-step filter, first by CBFC, which suggested 55 cuts, and the second by a committee, which asked for six cuts.

# Save 188-yr-old tree or scrap project: HC to Nagpur civic body

Vaibhav Ganjapure  
@timesofindia.com

Nagpur: Bombay high court Wednesday censured Nagpur Municipal Corporation (NMC) for insisting on transplanting a 188-year-old banyan tree that is reportedly obstructing an e-library project.

The court stressed that the tree stands in a corner of the plot, not at its centre, making design adjustments feasible.

"If your intent is merely to remove the tree for open space, parking, and a canteen, we will be compelled to pass appropriate directives. Either change the plan or don't build the structure," the Nagpur bench of HC stated verbally while reviewing the project layout.

Court's directions came during hearing of a PIL filed by environmentalist Preeti Patel and three others, who objected to the proposed felling and relocation of 1,374 trees for projects across the city, citing violations of Tree Protection Act. A key objection pertained to the banyan tree, which NMC had planned to transplant to Nagpur University campus.

Petitioners questioned viability of this plan, arguing,



The banyan tree is reportedly obstructing an e-library project. Bombay HC said development cannot come at the cost of long-standing ecological assets

"There is no guarantee the tree will survive if shifted," and alleging NMC was ignoring feasible alternatives.

Earlier, HC had directed the petitioners and NMC to consult environmental experts to explore alternatives. Following suggestions, NMC's response claimed 50% of work was already completed and the tree obstructed further development. Unimpressed, court reiterated its stance, stressing infrastructure development cannot come at cost of long-standing ecological assets. **TNN**

## Fruit vendor ends his life in Moradabad as shop bulldozed

Meerut: A 32-year-old fruit vendor in Moradabad died allegedly by suicide on Wednesday after his shop was demolished during an anti-encroachment drive. Chetan Saini's family claimed that he was distressed as the shop was their 'only source of income', reports **Krishna Chaudhary**.

A family member said, "He had returned home distressed on Tuesday and again went to the demolition site. Later, he jumped from the first floor of our house. We took him to hospital, but he was declared dead on arrival." Saini was also a worker of Bharatiya Janata Party (BJP).

Soon after the incident, UP deputy CM Brajesh Pathak visited his family and blamed civic officials for "taking arbitrary action." "They have wronged a BJP worker and will not be spared," Pathak said.

SP (City) Kumar Ranvijay Singh told TOI, "Post-mortem has been conducted and we are awaiting the reports. So far, we have not received any complaint."

## B'luru techie held in ₹379cr crypto theft

Bengaluru: Investigation into the Rs 379-crore cryptocurrency theft has led to police arresting a software engineer of the company after hackers allegedly used his login credentials to access the company's server.

Arrested employee, Rahul Agarwal (30), hails from Haridwar, Uttarakhand. His arrest follows a complaint by Neblio Technologies, which runs crypto trading platform CoinDCX. Police said the company found out unknown persons hacked into Rahul's work laptop, siphoned off \$44 million (Rs 379 crore) and transferred it to six wallets.

During questioning, Rahul claimed innocence about the theft, but admitted to moonlighting with 3-4 private parties without checking their credentials. **TNN**

**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**  
(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)  
IRDAI Registration No. 512  
Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra - 400 021, Tel. No.: 022 - 2202 2079  
e-mail: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

**NOTICE OF 4<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E - VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that:

- The 4<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM" / "Meeting") of Life Insurance Corporation of India ("Corporation") will be convened on **Tuesday, August 26, 2025 at 11:30 a.m. (IST)** through Video Conference ("VC") facility/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") and rules and regulations made thereunder, Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules framed thereunder read with General Circular Nos. 20/2020, 09/2023 and 09/2024 dated May 05, 2020, September 25, 2023 and September 19, 2024 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and any other applicable provisions. The deemed venue for the AGM shall be Central Office of the Corporation.
- The electronic copy of Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2024-25 is being sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depository Participant(s) ("DPs")/Registrar and Transfer Agent ("RTA") as on the cut-off date, i.e., **Friday, July 25, 2025** and for the members whose e-mail addresses are not registered or available with the Corporation/DPs/RTA, a letter providing a weblink and QR code for accessing Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2024-25 is being dispatched on July 30, 2025.  
The Notice of the 4th AGM and Annual Report for the FY 2024-25 is available on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in) and on the websites of the Stock Exchanges on which the equity shares of the Corporation are listed, i.e., at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). Additionally, Notice of the AGM is also available on the website of e-voting service provider, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- Members holding shares either in physical mode or dematerialized mode, as on the cut-off date, i.e., Tuesday, August 19, 2025, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL ("remote e-voting"). The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Corporation. Member participating in the 4th AGM through VC facility / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956.
- All members are informed that:
  - The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM.
  - Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the RTA/Depositories as on the cut-off date, i.e., **Tuesday, August 19, 2025**, shall only be entitled to vote on the resolutions as set out in the Notice.  
The remote e-voting facility will be available during the following:

Commencement of e-voting	Saturday, August 23, 2025, at 09:00 a.m. (IST)
Conclusion of e-voting	Monday, August 25, 2025, at 05:00 p.m. (IST)
  - Any person who becomes member of the Corporation after dispatching the Notice of the 4<sup>th</sup> AGM by e-mail and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used to cast vote.
  - Members may note that:
    - once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
    - members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 4<sup>th</sup> AGM may participate in the AGM through VC facility/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the AGM; and
    - members participating in the AGM who have not cast their vote through remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM.
  - Members may follow the guidelines given in Para 14 and Para 15 of Notes to the Notice of the 4<sup>th</sup> AGM to participate in AGM through VC/OAVM and for e-voting.
  - In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on **022 - 4886 7000** or send a request to **Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL** at the designated e-mail ID [sanjeevy@nsdl.com](mailto:sanjeevy@nsdl.com) and/or [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).
  - Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a **speaker** by sending a request from their registered e-mail ID mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN, mobile number at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) from **Thursday, August 21, 2025, to Saturday, August 23, 2025, up to 05:00 p.m. (IST)**.

**Final Dividend for the FY 2024-25**  
Members may note that the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on May 27, 2025, has recommended a final dividend of ₹12/- per equity share of face value of ₹10/- each. The record date for determining entitlement of Members for the final dividend was Friday, July 25, 2025. The payment of final dividend, if approved by the Members at the 4<sup>th</sup> AGM, will be processed within 30 days from the date of approval (i.e., on or before September 24, 2025) through various online transfer modes to those Members who have updated their bank account details with their DPs. In case of absence of / incorrect bank details of Members, the Corporation will pay the final dividend through any permissible mode.  
The results of voting will be announced within two working days from the conclusion of AGM, i.e., on or before August 29, 2025 and will also be available on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in), on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and on the websites of Stock Exchanges, at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**For Life Insurance Corporation of India**  
**Sd/-**  
**Anshul Kumar Singh**  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai  
Date: 30.07.2025

**SUPPORTED BY:**  
  
Ministry of Commerce & Industry  
Government of India

**ORGANIZED BY:**  
  
PHARMACEUTICALS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL OF INDIA  
(Set up by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India)

**Powering Healthcare. Connecting Markets. 2025**

**4-6 SEPTEMBER**  
Bharat Mandapam,  
New Delhi

**7,400+**  
Reverse Buyer  
Seller Meets in 2024

**3 days**

**Seminars Workshops CEO Roundtable Global Regulators Meet**

**11<sup>th</sup>**  
EDITION  
International  
Exhibition on  
Pharma and  
Healthcare

**25K+**  
Domestic  
Visitors

**700+**  
Pharma  
Exhibitors

**Book Now!**  
Limited Stalls  
Available.  
  
[sales@iphex-india.com](mailto:sales@iphex-india.com)  
[director.rodellhi@pharmexcil.com](mailto:director.rodellhi@pharmexcil.com)  
**+91-11-4506 2550**  
**+91-40-2373 5466**  
[www.iphex-india.com](http://www.iphex-india.com)

**111+**  
Countries Represented  
by Global Delegates  
**Mr. Namit Joshi, Chairman**  
**Mr. Bhavin Mehta, Vice Chairman**  
**Mr. Raja Bhanu, Director General**

**HON'BLE SUPREME COURT MONITORED HOUSING PROJECTS**  
Through Ld. Court Receiver  
Executed by  
**NBCC (India) Limited**

A Navratna CPSE

**Bulk Sale of inventory through e-Auction**

**Last Date of Submission of EMD 11.08.2025**

**EMD Fee: ₹41.78 Crore**

**Crafted for a lifetime of memories**

**at**

**ASPIRE LEISURE VALLEY**

**Package-2**

**Phase - II, Greater Noida (W), Uttar Pradesh**

**Spacious 3BHK apartments with modern amenities**

**Close proximity to renowned schools and hospitals**

**Anand Vihar ISBT & railway station : 35 mins**

**e-Auction will be held on : 12.08.2025**

Please scan this QR for e-auction document

For more details  
Please visit our website:  
**[www.nbccindia.in](http://www.nbccindia.in) | [www.receiveramrapali.in](http://www.receiveramrapali.in)**  
**9772907414**

Please scan the QR for location



## कामा अस्पताल में पानी की किल्लत से दिक्कत

कर्मचारी-मरीज परेशान, BMC को लिखा पत्र

Suraj.Pandey@timesofindia.com

■ **मुंबई** : महिलाओं के विशेष अस्पताल कामा इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। हाल यह है कि अस्पताल को रोजाना टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन ने बीएमसी वॉर्ड ऑफिस में पत्र लिख समस्या से अवगत भी कराया है। बीएमसी के

साफ-सफाई के अलावा ओटी पर भी पड़ रहा असर

अस्पताल के अंदरूनी पाइपलाइन में है। वहीं अस्पताल ने पानी का फ्लोस कम होने की बात कही है। इस चक्कर में रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ रही है।

कामा अस्पताल पिछले एक महीने से पानी की किल्लत से जूझ रहा है। अस्पताल में पानी की किल्लत का असर साफ सफाई, मरीजों को कपड़े धोने, नहाने, यहां तक के ओटी में भी कम पड़ने लगा है। अस्पताल को रोजाना 1.25 लाख लीटर से 1.50 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पिछले एक महीने उन्हें उन्हें करीब 40000 लीटर पानी ही मिल रहा है। ऐसे में, अस्पताल अपनी शेष जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर का सहारा लेने को मजबूर है।

अस्पताल में प्रसूति, कैसर व नॉन



कैसर सर्जरी भी की जाती है, ऐसे में पानी की खपत भी ज्यादा है, लेकिन पिछले एक महीने से सीमित पानी होने के कारण कर्मचारी सहित मरीज भी परेशान हो रहे हैं। कामा अस्पताल के सुपरिटेण्डेंट डॉ. तुषार पालवे ने बताया कि हमने इस संदर्भ में बीएमसी को पत्र भी लिखा है।

बीएमसी के ए वॉर्ड के ऑफिसर जय मोरे ने बताया कि हमारी टीम ने आज अस्पताल गए थे, हमने चेक समस्या अस्पताल के इंटरनल कनेक्शन में है। वहीं, इस संदर्भ में डॉ. तुषार ने बताया कि हाल ही में हमने सब पाइपलाइन बदलवाई है, समस्या पाइप लाइन में नहीं है, बल्कि कम दबाव में पानी आने से है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले को सुलझाएं, क्योंकि इससे सभी को परेशानी हो रही है।

# बॉलिवुड को बाहर जाने से बचाने आगे आई BMC

## कई जगह बिना परमिशन कर सकेंगे शूटिंग: गगरानी

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई** : मुंबई की पहचान बॉलिवुड धीरे-धीरे दूसरे राज्यों की तरफ आकर्षित हो रहा है। बॉलिवुड मुंबई में बना रहे और फिल्मों की शूटिंग आसानी से हो, इसके लिए बीएमसी आगे आई है। बीएमसी कमिशनर भूषण गगरानी ने कहा कि झीलें, स्कूल, अस्पताल, डॉपिंग ग्राउंड आदि ऐसे स्थान हैं, जहां फिल्मों की शूटिंग आसानी से हो सकती है। इसके लिए परमिशन लेना पड़ती है। अब बीएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि ऐसे स्थानों पर बिना किसी अनुमति के फिल्मों की शूटिंग हो सके।

गगरानी ने बताया कि फिलहाल कुछ शूटिंग स्थलों की पहचान की गई है और आने वाले दिनों में और स्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा, जहां बिना परमिशन फिल्मकार शूटिंग कर सकें। इसमें जमीन, पानी और जंगल में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें फिल्मों की शूटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। गगरानी ने इस बात पर चिंता जताई कि कई फिल्म निर्माण कंपनियां मुंबई के बाहर स्थानों को प्राथमिकता दे रही हैं। बीएमसी ने फिल्म उद्योग को मुंबई में शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन कार्यों के लिए एक फ्रेंडली माहौल देने का वादा किया है। बुधवार को बांद्रा में फिदम उद्योग के संबंध में बीएमसी और मुंबई-यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्मस द्वारा संयुक्त रूप से 'मुंबई में फिल्म क्षेत्र पर हितधारकों के साथ



बातचीत' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस दौरान कॉफी टेबल बुक 'मुंबई-द सिटी ऑफ फिल्म' और ग्रीन फिलिंग्स हैंडबुक रिलीज की गई। इस दौरान गगरानी ने कहा कि दुनिया के कई शहरों में एंटरटेनमेंट सेक्टर स्थानीय प्रशासन ( लोकल बॉडी ) के अधीन है। मुंबई में बीएमसी सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन इंटरटेनमेंट सेक्टर का काम दूसरे विभाग देखते हैं।

### अलग सिस्टम बनाने की योजना

मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आसानी से शूटिंग हो, परमिशन आसानी से मिले, शूटिंग वाली जगहों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह सब सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, महाराष्ट्र मरीटाइम बोर्ड एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शूटिंग के लिए एक सेप्रेट सिस्टम तैयार करने के लिए चर्चा के बाद निर्णय लिए जा रहे। इस संगोष्ठी में मुंबई में शूटिंग के लिए परमिशन मिलना आसान बनाने, उचित शुल्क लगाने, शूटिंग आसान बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार करने पर चर्चा हुई। यहां मुंबई में फिल्म और टेलिविजन कार्यक्रमों की शूटिंग में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान गगरानी ने कहा कि पूरा बॉलिवुड बीएमसी में है, लेकिन बीएमसी बॉलिवुड में नहीं है। बीएमसी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इनमें मोनोरंजन उद्योग भी शामिल है, लेकिन उसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। गगरानी ने कहा कि हम यहां फिल्म उद्योग को नियंत्रित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि एक सहायक के रूप में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए हैं।

## हफ्ते भर में दी जाएं 556 घरों की चाबी: आदित्य ठाकरे

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई** : उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वली बीडीडी चॉल प्रजेक्ट के तहत तैयार घरों की चाबी लाभाधारों को एक सप्ताह के भीतर सौंपने की मांग की है। आदित्य ने प्रजेक्ट के पहले फेज के तहत तैयार



BDD चॉल की जगह दो बिल्डिंगें तैयार कर चुकी है म्हाडा

556 घरों का दौरा किया।

दौरा करने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्रभावित परिवारों को लॉटरी के माध्यम से पहले ही घर अलॉट हो चुके हैं। अगर सभी लोगों को घरों की चाबी मिल जाएगी, तो यह परिवार अपने घर पर मंगेशोत्सव मना सकेंगे। चाबी मिलने

**NBT Lens** क्यों करना पड़ रहा है लोगों को इंतजार?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( म्हाडा ) के मुंबई बोर्ड ने वली बीडीडी चॉल की जगह दो बिल्डिंग तैयार करने का काम कुछ दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इन दो बिल्डिंगों को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ( ओसी ) प्राप्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, सरकार के वरिष्ठ मंत्री चाबी सौंपने के कार्यक्रम के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से घर तैयार होने के बावजूद लोगों का इंतजार बढ़ता जा रहा है।

से निर्माण कार्य की वजह से ट्रांजिट कैप में रह रहे घर खाली होंगे। इन घरों का इस्तेमाल म्हाडा अन्य प्रभावित परिवार को देने के लिए कर सकती है।

## 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस का आज होगा फैसला

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई**: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) की विशेष अदालत गुरुवार को 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला सुनाएगी। 19 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने केस को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनिश्चित कर लिया था। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने गुरुवार को केस के सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। 129 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हो गए थे।

ब्लास्ट केस में मुकदमे का सामना करने वाले कुल सात आरोपी हैं, जिनमें बीजेपी की पूर्व सांसद संध्या प्रभा सिंह ठाकरे, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। केस के सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए कोर्ट में केस की शुरुआत से पहले

19 अप्रैल, 2025 को सुनवाई हुई पूरी, फैसला था सुनिश्चित

पांच आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था। पहले एटीएस ने केस की जांच की थी। बाद में मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया था। एटीएस ने साल 2009 में चापशीट दायर की थी, हालांकि बाद में केस एनआईए को सौंपा गया था, जिसने साल 2016 में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। 323 लोगों की हुई गवाही: एनआईए कई पहलुओं पर प्रकरण में एटीएस से असहमत नजर आई थी। बता दें कि केस में कुल 323 गवाहों की गवाही हुई। इसमें से 282 गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। 39 गवाह बयान से मुक्त गए। 41 गवाहों को ड्राफ्ट कर दिया गया। एनआईए की ओर से विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाल ने पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हमने प्रभावी ढंग से केस की पैरवी की है। अब फैसला सुनाना न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में है। विशेष न्यायाधीश के कोर्ट कक्ष में आने वाले पत्रकारों को मोबाइल फोन और बैग लेकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वे सिर्फ पत्रकारों पेन और राइटिंग पैड लेकर अंदर जा सकते हैं।

## 11वीं एंडमिशन, चौथे राउंड में 18,474 स्टूडेंट्स को मिली सीटें

■ **NBT रिपोर्ट, चर्ची रोड** : शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए चौथी मैरिट लिस्ट जारी कर दी, यह पहले गुरुवार को सुबह आने वाली थी। मुंबई विभाग के शिक्षा उपनिदेशक के अनुसार, इस राउंड में कुल 82,800 सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन केवल 18,474 स्टूडेंट्स को ही सीटें आवंटित की गईं। यानी इस चरण में सीट आवंटन की दर मात्र 22% रही। कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अधिक सीटें आवंटित हुई हैं। कॉमर्स की कुल 49,275 सीटों में 12,102 पर स्टूडेंट्स को सीटें आवंटित हुई हैं। साइंस में 25,366 में 5,169 स्टूडेंट्स को सीटें मिली हैं, जबकि आर्ट्स की 8,159 सीटों में से केवल 1,203 स्टूडेंट्स को सीटें मिली हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, चौथे राउंड में सिर्फ 5,913 स्टूडेंट्स को उनकी पहली पसंद का कॉलेज मिला। वहीं, 2,875 को दूसरी पसंद, 2,433 को तीसरी पसंद और दसवीं पसंद तक आते-आते केवल 290 स्टूडेंट्स को ही कॉलेज आवंटित हो सका।

## ‘गणेश मंडप को गड्ढा खोदने पर नहीं लगेगा भारी जुर्माना’

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई** : गणेश मंडपों के लिए खोदे जाने वाले गड्ढे पर प्रति गड्ढा 15000 रुपये का जुर्माना वसूलने की घोषणा बीएमसी ने की है, जिसे लेकर पालक मंत्री लोढ़ा ने कहा, बहुत ज्यादा है 15000 रुपये का दंड

लोढ़ा ने आश्वासन दिया है कि दंड की राशि बहुत अधिक है और इसे कम कराया जाएगा। लोढ़ा ने कहा कि गणेशोत्सव हम सभी के लिए आनंद का त्यौहार है और इसे उत्साह से मनाने का सबको मौका मिलना चाहिए। बीएमसी के इस नियम से गणेश मंडलों में नाराजगी है, जिसे गंभीरता से लिया गया है। जल्द ही बीएमसी कमिशनर भूषण गगरानी से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।

एनसीपी ( शरद गुट ) के मुंबई युवक अध्यक्ष अमोल मातेले ने मंगलवार को



इस मुद्दे पर बीएमसी के अधिशनल कमिशनर अभिजित बांगर से मिलकर विरोध दर्ज करायें था और निर्णय वापस न लेने की दिशा में आंदोलन की चेतावनी दी थी। बीएमसी के सी वॉर्ड कार्यालय ( कालवदेवी ) ने बुधवार को लोढ़ा के जनता दरबार में 318 शिकायतें मिलीं। सभी का मौके पर ही समाधान किया गया। शिकायतों पुनर्विकास, सड़कों की स्थिति, ड्रेनेज, राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, पानी की आपूर्ति और गणेश उत्सव को अनुमति से जुड़े मुद्दे सामने आए।

## अंगदान को लेकर जागरूकता मुहिम


■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई**: महाराष्ट्र में 3 से 15 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आविठकर ने इसे जनआंदोलन का रूप देने के निर्देश दिए हैं। पखवाड़े के दौरान अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रीतिपूर्ण कर करने और मरीजों को नवजीवन देने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को अंगदाताओं का सम्मान भी किया जाएगा।

## तबेलों को मुंबई से बाहर करने के लिए होगी कार्रवाई

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई** : मुंबईकरों को ताजा दूध उपलब्ध कराने वाले तबेलों को जल्द ही बीएमसी मुंबई से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए जल्द ही तबेला मालिकों को नए सिरे से नोटिस जारी की जाएगी। बीएमसी अधिशनल कमिशनर अभिजित जोशी ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने तबेलों को मुंबई से बाहर करने का आदेश दिया है जिस पर तबेला मालिकों ने भी सहमति जताई है। मुंबई के तबेलों को पालघर के दापचेरी में शिफ्ट करने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। मुंबई में 263 तबेलों का सर्वे किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन तबेलों में जानवरों की कुल संख्या 9959 है। बीएमसी इन तबेलों को जल्द ही नोटिस जारी करेगी, इसके बाद तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीएमसी यह कार्रवाई केंट्रल फ्री सिटी अधिनियम 2005 के तहत करेगी।

मुंबई में सर्वाधिक तबेले गोरगांव परिसर में हैं। अधिकारियों के अनुसार केंट्रल फ्री सिटी कानून बनने के बाद मुंबई के तबेलों को पालघर के दापचेरी में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। कानून के खिलाफ बॉम्बे मिल्क असोसिएशन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। ज्यादातर तबेले कलेक्टर लैंड पर हैं। इसलिए सरकार ने बीएमसी को पत्र लिखकर इन तबेलों को हटाने में असमर्थता जताई है और बीएमसी को उन्हें हटाने को कहा है।

गोरगांव में सबसे ज्यादा तबेले: मुंबई में लाइसेंसधारी तबेलों की संख्या 59 है, इनमें 3607 जानवर रहते हैं। जबकि बिना लाइसेंस के 204 तबेले हैं और इसमें जानवरों की संख्या 6352 है। इस तरह 263 तबेलों में कुल 9959 जानवर हैं, जिन्हें पालघर में शिफ्ट किया जाएगा। गोरगांव और मालाड पूर्व में सर्वाधिक तबेले हैं। मालाड में सर्वाधिक 34 तबेले हैं और यहां जानवरों की संख्या 1635 है, इसी तरह गोरगांव में 32 तबेले हैं, जिनमें सर्वाधिक 2224 जानवर रहते हैं।



**भारतीय जीवन बीमा निगम**  
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)  
आईआरटीआईएन बीजीकरण संख्या 512  
केंद्रीय कार्यालय: 'गोपाल', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र 400 021  
दूरभाष संख्या: 022-2202 2079  
ई-मेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

**चौथी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी**

**एस्पायर सूचना दी जाती है की:**

- भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"/"बैठक") मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 2025 को सुबह 11:30 बजे (भा.मा.स.) बीबीसी कॉन्फ्रेंस ("बीसी") की सुविधा से/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ऑडियो") से, सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थल पर, एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर कर्तव्य करने के लिए, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ("एलआईसी अधिनियम, 1956") और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (संग्र. बीमा तक) और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ प्रतिष्ठित, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 20/2020, 09/2023 और 09/2024 दिनांकित 05 मई, 2020, 25 सितंबर, 2023 और 19 सितंबर, 2024 और अन्य परिचयों ("एनसीए परिचय") एवं अन्य लागू प्रवधानों के अनुसार आयोजित की गयी है। वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान निगम का केंद्रीय कार्यालय होगा।
- एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी है, जिनके ई-मेल पते निगम/विजिटरी प्रतिभागी (ओ) ("ओबी")/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2025 तक पंजीकृत हैं और जिन सदस्यों के ई-मेल पते निगम/ओबी/आरटीए के पास पंजीकृत या उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें एजीएम की सूचना ई-वोटिंग तिथि 2024-25 का वार्षिक रिपोर्ट देखने/डाउनलोड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यमों द्वारा प्रेषित किया जाएगा।
- चौथी एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट निगम की वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जिन पर निगम के इलेक्ट्रॉनिक शेयर रजिस्ट्रार हैं, अर्थात् [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना ई-वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विजिटरी लिमिटेड ("एनएलईएल") की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।
- कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2025 को मौखिक व आभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एनएलईएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("दूरस्थ ई-वोटिंग/ई-मतदान") के माध्यम से एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों के मताधिकार निगम की चुकता इक्विटी शेयर पुंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। बीसी/ओबीएम सुविधा के माध्यम से चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अंतर्गत कोष की गणना के लिए गिना जाएगा।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर दूरस्थ ई-वोटिंग या वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से कार्यवाही की जा सकती है।
  - सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त, 2025 को सदस्यों के रजिस्ट्रार में या आरटीए/विजिटरी द्वारा बनाए गए लाभाधारों के रजिस्ट्रार में दर्ज हैं, केवल वही सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर मतदान कर सकते हैं। दूरस्थ ई-मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-मतदान का प्रारंभ	समाप्त, दिनांक 23 अगस्त, 2025, प्रातः 09:00 बजे (भा.मा.स.)
ई-मतदान का समापन	सोमवार, दिनांक 25 अगस्त, 2025, सायं 05:00 बजे (भा.मा.स.)
  - कोई भी व्यक्ति जो चौथी एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद निगम का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक उसके पास शेयर हैं, वह [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही दूरस्थ ई-मतदान के लिए एनएलईएल में पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
  - सदस्य कृपया ध्यान दें कि:
    - एक बार सदस्य द्वारा किसी मतादायक पर मतदान किए जाने के बाद, सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी;
    - जिन सदस्यों ने चौथी एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वह बीसी/ओबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से दोबारा मतदान नहीं कर सकते हैं; और
    - एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वह एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
  - सदस्य बीसी/ओबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए चौथी एजीएम की सूचना के टिप्पणीयों के परिच्छेद 14 और 15 में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
  - किसी भी प्रश्न के लिए, आम शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एक्सएल) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर संकेत कर सकते हैं या एनएलईएल के सहायक संबंधित सीबीजी वॉल्वर यादव को निर्दिष्ट ई-मेल पते [sanjeev@nsdl.com](mailto:sanjeev@nsdl.com) और/या [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
  - जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लब/आईडी/फोनेक्स नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर, शुक्रवार दिनांक 21 अगस्त, 2025 से शनिवार, दिनांक 23 अगस्त, 2025 तक शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) तक अनुरोध भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।

**वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभार्थी**  
सदस्य कृपया ध्यान दें कि निगम के निदेशक मंडल ने 27 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10/- अंशिक मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹12/- के अंतिम लाभार्थी की किफारत की है। अंतिम लाभार्थी के लिए सदस्यों की पासवर्ड निर्धारित करने की रिपोर्ट तिथि शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2025 थी। यदि सदस्यों द्वारा चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में अंतिम लाभार्थी का अनुमोदन किया जाता है, तो अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर (अर्थात् 24 सितंबर, 2025 को या उसके पहले) विभिन्न ऑनलाइन हस्ताक्षर माध्यमों से उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने डीपी के अंतर्गत बैंक खाते का विवरण अपडेट कर दिया है। सदस्यों के बैंक विवरण के अभाव में भुगतान लेने की स्थिति में, निगम किसी भी अनुमोदित माध्यम से अंतिम लाभार्थी का भुगतान करेगा।

ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर, यानी दिनांक 29 अगस्त, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और वह निगम की वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in), एनएलईएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध होंगे।

**स्थान: मुंबई**  
**दिनांक: 30.07.2025**

**कृते भारतीय जीवन बीमा निगम**  
**साथी/**  
**अध्यक्ष कुमार सिंह**  
**कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी**

**माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी वाली आवास परियोजना**

लर्नेड कोर्ट रिसीवर के माध्यम से

**एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड**

द्वारा निष्पादित

ई-नीलामी के माध्यम से इन्वेंट्री बल्क सेल

जीवन भर की यादों के लिए तैयार

ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख 11.08.2025

ईएमडी शुल्क: ₹41.78 करोड़

**एस्पायर लीज़र वैली**

फेज-II, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश

पैकेज - 2

आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य 3BHK अपार्टमेंट्स

प्रसिद्ध स्कूलों और अस्पतालों के निकट

आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन 35 मिनट की दूरी पर

ई-नीलामी दिनांक 12.08.2025 को आयोजित की जाएगी

कृपया ई-नीलामी दस्तावेज के लिए इस क्यूआर को स्कैन करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें:

[www.nbccindia.in](http://www.nbccindia.in) | [www.receiveramrapali.in](http://www.receiveramrapali.in)

9772907414

कृपया लोकेशन के लिए क्यूआर स्कैन करें।



# पालकांना ‘दत्तक’ प्रतीक्षा

# ओळख उघड करण्याची सक्ती नको

शर्मिला कलगुटकर  
sharmila.kalgutkar@timesofindia.com

**मुंबई :** वंध्यत्वाच्या वाढत्या समस्या, सामाजिक जाणीव, नैसर्गिक अपत्य असतानाही मूल दत्तक घेण्याचा ठोस निर्णय... अशा विविध कारणांमुळे दत्तक प्रक्रियेला मिळणारा प्रतिसाद मागील काही वर्षांत वेगाने वाढत आहे. देशात आज मुलांना दत्तक घेण्यासाठी ३० हजार ४८२ पालक प्रतीक्षा यादीमध्ये असले, तरीही या प्रक्रियेअंतर्गत नोंदवण्यात आलेल्या मुलांची संख्या अवघी दोन हजार ७८६ आहे. यातही एक हजार ८१४ मुले ही विशेष गरजा असणारी, तर १७२ मुले सर्वसामान्य आहेत.

केंद्रीय दत्तक प्राधिकरणाने (कारा) दिलेल्या माहितीनुसार, दत्तक घेण्यासाठी उत्कृष्ट असलेल्या पालकांच्या तुलनेत उगलल्या मुलांची संख्या ही अतिशय कमी आहे. देशात २०२५-२६ मध्ये ३० जुलैपर्यंत एक हजार ४९२ मुलांना दत्तक देण्यात आले आहे. त्यामुळे मूल दत्तक जाईपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी तीन ते साडेतीन वर्षांपर्यंत गेला आहे.

## देशभरात प्रतीक्षा यादी ३० हजारांवर

आकड्यांवर नजर
(१ जानेवारी २०२१ ते १ मार्च २०२५)
देशभरात दत्तक दिलेली एकूण मुले <b>१३,८९५</b>
मुलगे <b>५,९९९</b> , मुली <b>७,८९६</b>
राज्यभरात दत्तक दिलेली एकूण मुले <b>२,४२२</b>
मुलगे <b>१११०६</b> , मुली <b>१,३१६</b>
(विशेष मुले <b>१,३८७</b> )



### इच्छुक पालकांची संख्या मोठी का ?

दत्तक विधान प्रक्रिया ही आता ऑनलाइन पद्धतीने होते. त्यामुळे दत्तक विधानासाठी नोंद करणे हे अधिक सुलभ झाले आहे. वंध्यत्वाच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. कृत्रिम गर्भधारणा उपचारांना यश आल्यास, मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय घेणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे नोंदणी झालेल्या पालकांची संख्या अधिक दिसू शकते, याकडे वंध्यत्व निवारणकर्ता डॉ. वी. आर. नायर यांनी लक्ष वेधले.

### मुलासाठी दीर्घ प्रक्रिया

दत्तक प्रक्रियेमध्ये मूल आल्यानंतर, रितसर प्रक्रियेद्वारे ते दत्तक देण्यासाठी कायदेशीररित्या मोकळे करावे लागते. वैद्यकीय विश्लेषण अहवाल, संस्थेच्या माध्यमातून अहवाल सादर करणे, वालकल्याण समितीपुढे मुलाचा सादर करणे अशा अनेक बाबी त्यात असतात. काही वेळा या प्रक्रियेमध्ये विलंब होतो. परिणामी पुढील प्रक्रियाही खोळवते, असा अनुभव काही जणांनी सांगितला.

घेण्यासाठी, 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने दत्तकविधान प्रक्रियेमध्ये असणाऱ्या राज्यातील विविध संस्थांकडे विचारणा

केली असता, अनेक मुद्दे पुढे आले. कोरोना साथीनंतर मुले संस्थांमध्ये येण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे.

पोलिस, रुग्णालये या माध्यमातून संस्थेमध्ये येणाऱ्या मुलांची संख्याही घटली आहे. दुसरीकडे, बाळचोरीच्या

### म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही गर्भपात करण्यास इच्छुक अल्पवयीन मुलींची ओळख उघड करण्याची सक्ती संबंधित डॉक्टरांवर केली जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले आहे. 'ही एकप्रकारे अशा अल्पवयीन मुलींची व डॉक्टरांची छळवणूक आहे', असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या याविषयीच्या आदेशांची प्रत राज्यभरातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

### अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताविषयी उच्च न्यायालयाने खडसावले



### ‘आदेशाची प्रत सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये’

तसेच सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये हे कायदेशीर चित्र स्पष्टपणे पोहोचले आहे. परंतु, पोलिसांकडून ओळख उघड करण्याची सक्ती केली जात आहे', असे म्हणणे याचिकाकर्त्यातर्फे न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. शिवाय अशा प्रकरणांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही पोलिसांकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे वक्त्यांनी निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेऊन खंडपीठाने वरील निर्देश दिले.

न्यायालयानेही आदेश दिला आहे. असे असतानाही पोलिस सक्ती करत आहेत', असे निदर्शनास आणत मुंबईतील एका स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांनी अॅड. मीनाझ ककालिया यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली होती.

‘संबंधित मुलीची प्रेमसंबंधातून गर्भधारणा झाली आहे. सध्या १३ आठवड्यांची गर्भधारणा आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करता येऊ शकतो. त्यानुसार, मुलीच्या व तिच्या पालकांच्या इच्छेने ही प्रक्रिया करायची

## ठाण्यात १२ फुटी भिंत कोसळली

म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे

वागळे इस्टेटमध्ये तब्बल ९५ फूट लांब व १२ फूट उंचीची भिंत बुधवारी सकाळी कोसळली. रामनगर परिसरात घडलेल्या या दुर्घटनेत सात दुचाकी व दोन रिक्षांचे नुकसान झाले. दुर्घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसून गाड्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

### सात दुचाकी, दोन रिक्षांचे नुकसान



ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात दोन दिवसांपासून घरांच्या भिंतीची पडझड सुरू आहे. बुधवारी रामनगर भागात विठ्ठल रुग्णालय मोदीराजवळ बांधी टास्कफोर्ट या कंपनीच्या सुरुष भिंतीचे काम सुरू होते. याखेळी अंदाजे ९५ फूट लांब व १२ फूट उंच भिंत बाजूला उभ्या असलेल्या सात दुचाकी व दोन रिक्षांवर पडली. घटनेनंतर श्रीमंगर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी, आपली व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी जेसीबीसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी

सुरक्षेच्या कारणास्तव आपली व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी यांच्या मदतीने धोकापट्टी लावून बॅरिकाडिंग केले. तसेच भिंतीचा कोसळलेला भागही हटविला.

## गणेशोत्सवासाठी ४६ विशेष रेल्वे फेऱ्या

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

गणेशोत्सवात प्रवाशांच्या सुविधेसाठी मध्य आणि कोकण रेल्वेने आणखी ४६ विशेष रेल्वे फेऱ्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. गाडी क्रमांक ०११३१/२ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सावंतवाडी रोड-एलटीडी (आठ फेऱ्या), दिवा-खेड-दिवा मेमू अनारक्षित (३६ फेऱ्या) या मार्गांवर विशेष रेल्वे फेऱ्या धावत राहणार आहेत.

### मध्य, कोकण रेल्वेची घोषणा



दिवा-चिपळूण-दिवा मेमूच्या अनारक्षित फेरीत दोन फेऱ्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २३ ऑगस्टपासून सुरू होणारी दिवा-चिपळूण मेमू आता २२ ऑगस्टपासून सुरू धावणार होणार आहे. विशेष फेऱ्यांचे आरक्षण ३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. अनारक्षित रेल्वेगाडीचे आरक्षण यूटीएसमधून करता येणार आहे. मध्य आणि कोकण रेल्वेने यापूर्वी २५० फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. नव्या फेऱ्यांसह मुंबई-कोकण मार्गावर धावणाऱ्या विशेष रेल्वे फेऱ्यांची संख्या २९६ वर पोहोचली आहे.

### सावंतवाडी रोड-एलटीडी ट्रेसाप्ताहिक (आठ फेऱ्या)

०११३१ विशेष गाडी एलटीडीहून गुरुवार आणि रविवार सकाळी ०८.४५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री १०.२० वाजता सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल. परतीचा प्रवास (०११३२)

सावंतवाडी येथून रात्री ११.२० वाजता सुरू होणार असून एलटीडी येथे दुसऱ्या दिवशी १२.३० वाजता पूर्ण होईल.

### कालावधी : २८ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट, ४ सप्टेंबर आणि ७ सप्टेंबर

■ थांबे : ठाणे, पनवेल, पण, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, सावडा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवेल, रानापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि झाराप.

■ संरचना : २२ डबे

### दिवा-खेड-दिवा मेमू अनारक्षित (३६ फेऱ्या)

दिवा येथून दुपारी १.४० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता खेडला पोहोचेल. परतीचा प्रवास खेड येथून सकाळी ८ वाजता सुरू होणार असून, त्याच दिवशी दुपारी १ वाजता दिवा स्थानकात पूर्ण होईल.

■ कालावधी : २२ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबरदरम्यान रोज

■ संरचना : आठ डबे

## श्रीकृष्णनाथ पांचाळ ठाणे जिल्हाधिकारी

**मुंबई :** राज्य सरकारने बुधवारी पाच सनदी अधिकार्यांच्या बदल्या केल्या असून ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पांचाळ हे आधी जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी होते. पांचाळ यांच्या बदलीने रिकत होणाऱ्या पदावर अश्वमे मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मित्तल या सध्या नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर कार्यरत होत्या.

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारेगे यांची महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. तर, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजीज शेख यांची धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

## ‘टीएस’ कुलगुरूपदी प्रा. बद्धी तिवारी

**मुंबई :** टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, (टीआयएसएस) मुंबई या संस्थेच्या कुलगुरूपदी उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराज येथील गोविंद वल्लभ पंत सोशल सायन्सेस इन्स्टिट्यूटचे संचालक, प्राध्यापक बद्धी नारायण तिवारी यांची नियुक्ती झाली आहे.

टीआयएसएस मुंबईच्या मेमोरॅंडम ऑफ असोसिएशन आणि नियमांच्या कलम २४ अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीच्या मान्यतेने, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने प्राध्यापक बद्धी नारायण तिवारी यांची नियुक्ती केली आहे.

## पती-पत्नीची नदीत उडी

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात वाशिष्टी नदीत बुधवारी सकाळी एका पती-पत्नीने उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने खळबळ उडाली आहे.चिपळूण शहरातील गांधारेवकर पुलावरून ही उडी मारली. माहिती मिळताच चिपळूणचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. आकाश लिगाडे, पोलीस उपविभागीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र राजनगरे, चिपळूणचे पोलीस निरीक्षक नेमाडे घटनास्थळी दाखल झाले. एनडीआरएफच्या पथकांने शोध घेण्याचे काम सुरू केले.

## प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

UIN: IRDAN126RP0001V01201617  
(भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाची योजना, एआयसी द्वारे लागू)

### फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

### खरीप 2025

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.

**खरीप हंगाम विमा योजनेतील पिके:** भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भूईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल.

- अंतिम मुदत: ३१ जुलै २०२५
- योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई पीक पाहणी बंधनकारक आहे.
- अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.
- कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.
- ई पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल व भरलेला विमा हप्त्या जप्त होईल.
- विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागात दिले जाते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी बालक यांना देऊ नये.
- एखाद्या अर्जदाराचे बोगस किंवा फसणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षा काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार संलग्न बँक खात्यात वेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा करण्यात येणार आहे.
- सर्व पिकासाठी जोखीम स्तर ७० टक्के.

### उंबरठा उत्पादन

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादन गुणिते त्या पिकाचा जोखीम स्तर विचारात घेऊन निश्चित केला जातो.

### विमा संरक्षणाच्या बाबी:

पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल घेऊन शेतकऱ्याच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळामधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

### विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे?

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यास या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्त्या न भरणे बाबत तेथील कळवणे गरजेचे आहे.

बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंपोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) च्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in) या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नंतर ई पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी

कृषी मंत्रालया माहितीसाठी संपर्क पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषी रक्षक पोर्टल [helsp.in](http://helsp.in) वर संपर्क करावा, किंवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधि, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा

जिल्हे

अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशिम, हुलडाणा, सांगली, नंदुरवार, परभणी, वर्धा, नागपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पाचगिर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली

विमा कंपनी

एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

अधिक माहितीसाठी QR Code स्कॅन करावा.

भारतीय कृषी बीमा कंपनी | AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD

मुख्य कार्यालय: 'बीक डेअर', मोकळी रोड, मोक. बस, मुंबई-४०००१५ | मुख्य कार्यालय: ४ & ८, ५ वा नंबर, अजिंक्य कॉल १, ईश्वर क्लब, नवी मुंबई-११००२३

ईमेल: [pmfby@aicofindia.com](mailto:pmfby@aicofindia.com) | वेबसाइट: [www.aicofindia.com](http://www.aicofindia.com) | रजिस्ट्रार: U14998DL2002PL181123, अजयराईएफ 126

फसल ही या पूर्वी संरक्षित | बीमा सुरक्षा ह्याता वाढा |

कृषि रक्षक पोर्टल [helsp.in](http://helsp.in) १४४४४७